

:: मूल वाद में डिक्री ::  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

राजस्व लोक अदालत कैम्प सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:- जगदीश प्रसाद बैरवा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :-369/2011 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 92(क)-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री काशी पिता भूरा जाट, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा  
(राजस्थान) -----वादी

बनाम

1-श्री भैरूलाल पिता कजोड़ी खटीक, उम्र बालिग निवासी सांगानेर तहसील व जिला  
भीलवाड़ा (राजस्थान)

2-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)

3-उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यालय, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

-----प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री - एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1  
की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 18.6.2018  
को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और  
डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि  
आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा  
राशि - को दी जायें।

वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने में असफल रहने के कारण वादी का  
वादपत्र खारीज किया जाता हैं। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(जगदीश प्रसाद बैरवा)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 18.6.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से  
जारी की गयी ।

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा